न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नवनीत कुमार आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 21 / 2024 / बाड़मेर

अपीलांटस	**रेस्पोडेंटगण**
1. सहायक प्रबन्धक कैयर्न इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड रागेश्वरी गैस टर्मिनल मालियों की ढाणी, नगर 2. मुख्य सी.एस.आर. आफिस रागेश्वरी गैस टर्मिनल मालियों की ढाणी, नगर तहसील गुड़ामालानी, जिला बाड़मेर 3. प्रबन्धक, कैयर्न इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड मंगला प्रोसेसिंग टर्मिनल नागाणा तहसील व जिला बाड़मेर	1. दुर्गाराम पुत्र उकाराम जाति भील, निवासी नगर तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर 2. श्रीमान तहसीलदार गुड़ामालानी

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 174 / 2016 बअनवान दुर्गाराम बनाम सहायक प्रबन्धक कैयर्न इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.12.2023 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री भूरचंद जांगिड़ अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री ओमप्रकाश विश्नोई रेस्पोडेंट संख्या 01 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 10.03.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा नगर के खेत खसरा संख्या 688 / 859 रकबा 06.15 बीघा में से रकबा 02.04 बीघा भूमि अवाप्ति दिनांक 25.02.2012 के बाद रकबा 04.11 बीघा भूमि रही जो अन्य सहखातेदारान के दान पत्र से अकेले वादी के नाम रही और जो भूमि कम्पनी को अवाप्त की गई जिसकी तरमीम कर दी परन्तु कम्पनी द्वारा प्लाट निर्माण में अवाप्त सुदा भूमि रकबा 02.04 बीघा से ज्यादा वादी की भूमि रकबा 04.11 बीघा में से 01.09 बीघा भूमि पर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अतिक्रमण कर प्लाट का निर्माण किया और आमादा है तथा वादी की भूमि रकबा 01.09 बीघा पर कब्जा कर निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया। जिसकी जानकारी वादी को होने पर वादी ने अपीलांटस/प्रतिवादी को मना किया परन्तु प्रतिवादी/अपीलांट द्वारा वादी की खातेदारी भूमि पर पक्का निर्माण करने लगे तब उतरदाता द्वारा हस्तगत वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। वाद के साथ परिशिट 'अ' पेश किया गया। उतरदाता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पेश कर प्रतिवादी द्वारा उतरदाता की 01.09 बीघा भूमि पर किये जबरन कब्जा को बेदखल कर कब्जा वादी/उतरदाता को सुपुर्द करने हेतु मूल वाद दायर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

अपीलांटगण के अधिवक्ता ने अपनी लिखित एवं मौखिक बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन प्रकरण की मूल पत्रावली का अच्छी तरह से अवलोकन करने से साबित है कि अधीनस्थ न्यायालय ने विधि द्वारा निर्धारित किसी भी कानूनी प्रक्रिया का पालन न कर अपनी मनमर्जी से उक्त अपीलाधीन आदेश पारित किया है। मूल वाद में तनकियात कायम होने के बाद वादी की शहादत पेश हुए। गवाहान से प्रतिवादी की तरफ से कोई जिरह नहीं हुई और प्रतिवादी जिरह बंद हुई। प्रतिवादीगण या वकील उपस्थित नहीं होने पर एकतरफा आदेश पारित किये गये। वादी ने दिनांक 10.01.2023 को स्वयं उपस्थित होकर वादी व प्रतिवादीगण के बीच कुछ शर्तों के साथ राजीनामा होना बता कर वाद विड्रो का प्रार्थना–पत्र पेश कर दिया था। जिसे अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं है। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी अपीलांट के वकील श्री सम्पतराज बोथरा नियुक्त थे जिनका दिनांक 28.02.2022 को मोटर दुर्घटना हो गयी और मौके पर ही स्वर्गवास हो गया था। जिसका वकील वादी का ज्ञान था। अपीलाधीन प्रकरण में निर्णय व डिक्री एकतरफा पारित की गई। वादी को अपना वाद खुद की शहदात से साबित करना था जो नहीं कर इस प्रकरण में मंगाये मौका रिपोर्ट व नक्शा को आधार मान कर निर्णय व डिक्री पारित किये गये हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने वादी को मौके के नक्शे व मौका रिपोर्ट मंगवा कर वादी को अतिरिक्त शहादत एकत्रित करने का सहयोग किया है। ऐसी शहादत एकत्रित करवाने का अधीनस्थ न्यायालय को कोई

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अधिकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को साक्ष्य सबूत पेश करने का कोई अवसर नहीं दिया गया। अतः अपीलांटस की अपील को स्वीकार फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि मौजा नगर के खेत खसरा संख्या 688/859 रकबा 06.15 बीघा में से रकबा 02.04 बीघा भूमि अवाप्ति दिनांक 25.02.2012 के बाद रकबा 04.11 बीघा भूमि रही जो अन्य सहखातेदारान के दान पत्र से अकेले वादी के नाम रही और जो भूमि कम्पनी को अवाप्त की गई जिसकी तरमीम कर दी परन्तु कम्पनी द्वारा प्लाट निर्माण में अवाप्त सुदा भूमि रकबा 02.04 बीघा से ज्यादा वादी की भूमि रकबा 04.11 बीघा में से 01.09 बीघा भूमि पर अतिक्रमण कर प्लाट का निर्माण किया और आमादा है। वादी की भूमि रकबा 01.09 बीघा भूमि पर अतिक्रमण कर प्लाट का निर्माण किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री हस्तगत वाद में संस्थित तनकीयात में साक्ष्य सबूत का विवेचन करते हुए तनकीवार निर्णय पारित किया गया। वादी द्वारा अपने वाद को दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य दोनों से साबित किया गया। अपीलांटस स्वयं द्वारा अपने कथन में उत्तरदाता की भूमि पर किये गये अतिक्रमण को स्वीकार किया गया। अपीलांटस द्वारा उतरदाता की खातेदारी भूमि पर बिना किसी विधिक प्रक्रिया अपनाये अतिक्रमण किया गया जिसका प्रचलित दरों से किराये का भुगतान भी आज दिनांक तक नहीं किया गया। पक्षकारों के मध्य राजीनामा होने के कथन अपीलांटस द्वारा मिथ्या किये गये। अधीनस्थ न्यायालय उभयपक्ष की बहस सुनने के पश्चात हस्तगत वाद का निर्णय किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई। अतः अपीलांटस की अपील को खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन वं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अपीलाधीन आराजी का उत्तरदाता रिकॉर्डेड खातेदार है जो पत्रावली पर पेश दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श 1 से साबित है। उत्तरदाता की खातेदारी भूमि पर रकबा 01 बीघा पर अपीलांटस द्वारा अनाधिकृत कब्जा होना पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से पुष्ट है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर हाजा न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.05.2017 प्रदर्श– 4 पेश किया गया जिसमें स्पष्ट अंकन है कि मौका रिपोर्ट दिनांक 19.01.2017 के अनुसार प्रतिवादीगण का अवाप्त भूमि के अतिरिक्त 1.00 बीघा भूमि पर कब्जा होना प्रकट होता है, यदि

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

प्रतिवादीगण को उक्त अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता है तो वे उसके संबंध में नियमानुसार विधिक कार्यवाही करते हुए भूमि को अवाप्त करना चाहिये था। अवाप्त भूमि से अधिक अतिरिक्त भूमि पर मूल अवाप्त भूमि के कब्जा प्राप्ति दिनांक से उपक्रम के प्रचलित नियमों में जो भी किराया देय हो अपीलांट को भुगतान करे। उक्त आदेश की पालना में अपीलांटस द्वारा किसी प्रकार का किराया या अन्य विधिक कार्यवाही की गई पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अपीलांटस द्वारा बिना किसी वैधानिक प्रक्रिया को अपनाये बिना उतरदाता को कोई भुगतान किये उतरदाता की खातेदारी भूमि पर अतिक्रमण किया गया जो विधि सम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री से उतरदाता को अपने खातेदारी अधिकारों के संरक्षण हेतु प्राप्त अधिकारों वंचित किया जाना विधि सम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मूल वाद में कायम तनकीयात का पूर्ण विवेचन करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक एवं प्रक्रियात्मक त्रुटि नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। उपरोक्त विवेचन, तथ्यों के आलोक में तथा मेरी सुविचारित राय में अपीलांटगण की अपील खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 174/2016. बअनवान दुर्गाराम बनाम सहायक प्रबन्धक केयर्न इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.12.2023 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

10/3/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 10.03.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10/3/2025

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर